भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 155*

02 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषयः महिला किसानों को सहायता

155. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे एवं
श्रीमती सुप्रिया सुले

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए महिला किसानों को सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना शुरू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत कृषि से संबंधित क्षेत्रों में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में प्रमुख फसलों के उत्पादन में महिलाओं की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की मजदूरी दोगुनी करने या स्वनियोजित किसानों के रूप में कार्यरत महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा महिला किसानों के विकास, ताकि वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी कर सकें तथा सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी रूप से अपना सशक्तिकरण कर सकें, के लिए अधिक निधि जारी करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

<u>'महिला किसानों को सहायता' के संबंध में दिनांक 02.07.2019 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 155 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में उल्लिखित विवरण</u>

(क) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि नीति (एनपीएफ) (2007) के प्रावधानों के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय का ग्रामीण विकास विभाग विशेष रूप से महिला किसानों के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) नामक कार्यक्रम चला रहा है जो दीन दयाल अन्त्योदय योजना- नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का एक मुख्य घटक है। एमकेएसपी का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाते हुए कृषि में उनकी भागीदारी बढ़ाना और सतत जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान करना है। गत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधि का आवंटन एवं जारी की गई राशि **अनुबंध-I** में दर्शायी गई है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) भी अपनी लाभार्थी उन्मुखी योजनाओं और कार्यक्रमों में 30 प्रतिशत राशि एवं लाभ, महिलाओं के लिए सुनिश्चित करते हुए उन्हें कृषि की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहा है।

(ख) गत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत कृषि संबंधित क्षेत्रों में 1.39 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। गत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित की गई महिला किसानों की संख्या **अनुबंध-II** में दर्शायी गई है।

(ग) देश में मुख्य फसलों के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी को दर्शाने वाला कोई आंकड़ा, जनगणना में उपलब्ध नहीं है। फिर भी भारतीय महापंजीयक, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में की गयी जनगणना के अनुसार कृषि में महिलाओं की खेतिहर (मुख्य एवं सीमांत) के रूप में प्रतिभागिता 3.60 करोड़ (30.33 प्रतिशत) है और महिला कृषि मजदूरों (मुख्य एवं सीमांत) की संख्या 6.15 करोड़ (42.67 प्रतिशत) हैं।

(घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत दोनों - राज्य और केन्द्र सरकारें अपने कार्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय करने, समीक्षा करने, संशोधन करने और लागू करने के लिए सक्षम सरकारें हैं। सक्षम सरकारों द्वारा निर्धारित मजदूरी पुरुष एवं महिला कर्मियों के लिए एक समान हैं और लिंग के आधार पर भेद-भाव करने का इस अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। किसानों की आय को दोगुना करने के सम्बन्ध में डी॰एफ॰आई॰ समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिसका लाभ महिला किसानों सहित सभी किसानों को मिल रहा है।

(ङ) सरकार विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पुरुष किसानों की तुलना में महिला किसानों को अतिरिक्त सहायता और समर्थन दे रही है, जिसका विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

लो.स.ता.प्र.सं. 155

अनुबंध-I

ग्रामीण विकास मंत्रालय की महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत आवंटित और निर्मुक्त की गई धनराशि का विवरणः

(रुपए करोड़ में)

राज्य उपयोगिता आधार पर एमकेएसपी आवंटन और निर्मुक्ति का विवरण (रुपए करोड़ में)					
क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्ति 2016-17	निर्मुक्ति 2017-18	निर्मुक्ति 2018-19	निर्मुक्ति 2019-20
1	आन्ध्रप्रदेश	0.00	0.00	9.73	चालू वर्ष के दौरान कोई धन राशि अभी जारी नहीं की गई है।
2	असम	2.77	1.50	0.00	
3	बिहार	25.94	0.00	2.68	
4	छत्तीसगढ़	4.70	9.39	0.00	
5	गुजरात	0.23		0.00	
6	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.30	0.19	
7	हरियाणा	0.00	0.00	1.89	
8	जम्मू और कश्मीर	0.00	2.14	0.00	
9	झारखाण्ड	20.50	13.81	2.53	
10	कर्नाटक	0.96	0.00	0.00	
11	केरल	17.52	0.00	7.44	
12	महाराष्ट्र	10.57	20.09	0.00	
13	मध्य प्रदेश	0.83	0.00	0.00	
14	मेघालय	0.00	0.65	0.00	
15	मिजोरम	0.81	1.62	0.00	
16	ओड़िशा	6.36	0.89	0.82	
17	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	0.0	0.58	0.00	
18	राजस्थान	7.61	6.24	6.45	
19	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	
20	तमिलनाडु	0.00	6.05	0.00	
21	उत्तर प्रदेश	9.50	0.00	20.60	
22	पश्चिम बंगाल	0.00	0.49	0.92	
23	नागालैंड	0.00	0.00	2.35	
24	बहु राज्य परियोजना	0.00	0.00	5.87	
25	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	4.13	
		108.31	**63.76**	**65.60**	

टिप्पणी- एमकेएसपी मांग आधारित कार्यक्रम है। प्रत्येक वर्ष के लिए राज्यवार आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

लो.स.ता.प्र.सं. 155

अनुबंध-II

गत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से लाभान्वित हुई महिला किसानों का विवरणः

(संख्या लाख में)

क्र.सं.	मंत्रालय / विभाग	स्कीम/योजना	वर्ष			
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**					
क.	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू)	विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता (एटीएमए)	8.44	12.49	11.37	0.24
		कृषि विस्तार आधारित उप-मिशन (एसएमएई) (कौशल प्रशिक्षण)	0.006	0.003	0.02	-
		पादप संरक्षण आधारित उप-मिशन (एसएमपीपी)	0.03	0.031	0.032	0.005
		सहकारिता प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीसीटी)	0.10	0.17	0.15	0.02
		भारत सरकार की राष्ट्रीय सहकारिता यूनियन	0.48	0.46	0.43	--
		मशीनीकरण संबंधी उपमिशन (एसएमएएम)	0.03	0.03	0.03	0.005
ख.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/आईसीएआर	कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके)	1.07	1.09	1.17	0.57
2.	**ग्रामीण विकास मंत्रालय**					
	ग्रामीण विकास विभाग	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	30.65	34.06	35.97	00.00
	योग		**40.806**	**48.334**	**49.172**	**0.84**

लो.स.ता.प्र.सं. 155

अनुबंध-III

महिलाओं को (पुरुष किसानों की तुलना में) अधिक सहायता प्रदान करने वाली योजनाएं

- **कृषि क्लिनिक एवं कृषि-व्यवसाय केंद्र (एसीएबीए) स्कीम के तहत महिलाओं के लिए उच्च दर पर सहायताः** कृषि विस्तार संबंध उपमिशन के एग्री-क्लीनिक एवं एग्री-बिजनेस केन्द्र नामक योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा लिये गये बैंक ऋण पर क्रेडिट लिंक्ड बैक इंडेड सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये सब्सिडी महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और उत्तर-पूर्वी पर्वतीय राज्यों के सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 44 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्गों के लिए 36 प्रतिशत है।
- **कृषि विपणन के लिए समेकित योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए सहायताः** भण्डारण संसाधन परियोजनाओं और गैर-भण्डारण संसाधन परियोजनाओं के लिए पुरुष किसानों के लिए 25 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं के लिए 33.33 प्रतिशत की सीमा तक सहायता दी जाती है।
- **कृषि मशीनीकरण आधारित उपमिशन के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता (एसएमएएम):**फसलोपरांत उपकरण सहित कृषि मशीन/उपकरणों की खरीद के लिए एसएमएएम के अंतर्गत महिलाओं को 10 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत महिलाओं के लिए सहायता:** इको-फ्रेंडली लाइट ट्रैप, सीड ट्रीटमेंट ड्रम सहित पौध संरक्षण एवं उन्नत फार्म इक्विप्मेंट्स पर महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 10% की अतिरिक्त सहायता दी जाती है।

****